

17 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार  
का प्रस्ताव 15.1.19 को प्रेषित है।

18 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त 15.1.19 को प्रेषित है।

19 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त 30.1.19 को प्रेषित है।

20 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त दिनांक 15.2.19 को प्रेषित है।

पत्रावली के माध्यम से प्रशासनिक द्वारा  
न्यायिक उपाय 19/2 सा  
नोटिस जारी करने के लिए  
बाले विभागाध्यक्ष 22.2.19  
को प्रेषित है।

21 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त दिनांक 14.3.19 को प्रेषित है।

22 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त दिनांक 25.3.19 को प्रेषित है।

23 कर्मचारी सेवा वकील द्वारा उपरोक्त प्रकार का प्रस्ताव  
उपरोक्त दिनांक 25.3.19 को प्रेषित है।  
इस मंडी द्वारा विभागाध्यक्ष प्रस्ताव प्रेषित किया गया  
था 25.3.19 को विभागाध्यक्ष प्रस्ताव प्रेषित  
जा चुका है एवं संवेद्यता अति का नकल

जो प्रस्तावित किया गया उसका विवरण  
 जमा। वकील वादी द्वारा विनाश प्रस्ताव की  
 स्वीकार किया गया।

अतः लक्ष्मीकान्त राठ मठड़ी द्वारा उम्मुल  
 विनाश प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर इन  
 मोड़क की कुल रकम नं. 412 फका 0.26 हे० का  
 वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विमल प्रकार  
 खाता विभाजन किया जाता है।

(1) उम्मुल कुम दौडू लाल जाति	रक. नं. 412	फका	शे. मं.
बाबा जठ देह (गोड़क स्टे.)		0.17 हे.	प्रव
	शेष 1	0.17 हे.	-

(2) राजकुमार, रामेश्वर, रामावतार	412	0.09 हे.	परिसर
पवन कुम व बाबूबाई पत्नी	फका 1	0.09 हे.	-
लालचन्द जाति चमार लठ देह हि० ब.			

अंतिम डिक्ली जारी हो। प्रभावनी फैलक  
 सुमा होकर कर कर हो।

निर्मम भाग दिनांक 25/3/19 को भेद  
 हार दिवाया जाकर सर्व इतनास पुनोया।

25/3/19

(चिमन लाल भोस)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 रावणजमण्डी